आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहीत
1	2	3

14.2.2023

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया सुरेश राणा वगै0 ग्राम-द्वारी, टोला-इन्द्रा के आवेदन पर प्रारंभ की गई। सुरेश राणा वगै0 द्वारा आवेदन दिया गया कि जवाहर यादव ग्राम द्वारी अपने दादा मिठु महतो के नाम से निम्न भूमि जिसकी जमाबंदी पूर्व से ही हमारे पूर्वज जोबा राणा, लेखो राणा एवं खेमन राणा के नाम से कायम है, कायम करा कर हमलोगों को परेशान कर रहा है। अतः उक्त जमाबंदी को रद्द किया जाए भूमि का विवरण :-

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा एकड़ में
द्वारी	186/15, 2	2382	4.50
द्वारी	186/338, 2	2382, 64	6.23
	कुल		10.73

उभय पक्षों को नोटीस देकर कागजात की मांग की गई एवं सुना गया। राजस्व उप निरीक्षक से भी प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।

प्रथम पक्ष के सुरेश राणा वगै0 ने निम्न लिखित कागजात प्रस्तुत किया है।

(1) जमींदार द्वारा प्रदत सादा हुकुमनामा
(2) जमींदारी रसीद -03
(3) सरकारी रसीद -12
(4) वन सीमा से बाहर किये जाने संबंधित ओदश की प्रति।
(5) संदेहात्मक जमाबंदी की जाँच वाद सं0/2000-2001 में पारित आदेश की प्रति।

ईश्वर राणा वगै0 द्वारा प्रस्तुत कागजातों का विवरणः-

(1) फटे अमीन रिर्पोट (जमींदार)।
(2) हुकुमनामा सादा
(3) जमींदारी रसीद एवं सरकारी रसीद।
(4) पंजी-2 की ऑनलाईन कॉपी।
(5) वन सीमा से निस्कासीत होने संबंधि आदेश।
(6) अंचल अधिकारी, इटखोरी के वाद सं0 3/1992-93 का आदेश।
(7) अचंल अधिकारी, गिद्धौर के वाद सं0-6/2015-16 का आदेश।
(8) अंचल अधिकारी, गिद्धौर का आदेश वाद सं0-05/2019-20
(9) रा0 उप निरीक्षक गुरूदेव सिंह द्वारा जवाहर यादव पर किये केश का का कॉपी।
(10) ईश्वर राणा द्वारा कर्मचारी गुरूदेव सिंह एवं जवाहर यादव तथा हेमलाल यादव के विरूद्ध किये गये केश की कॉपी।

Scanned with OKEN Scanner

(11) दुलार राणा वगै0 बिकी केवाला की कॉपी।

द्वितीय पक्ष जवाहर यादव द्वारा प्रस्तुत कागजातों का विवरण:–

(1) जमीदारी सादा हुकुमनामा

(2) पंजी–2 की ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रति।

(3) लगान रसीद – 04

(4) विविध वाद सं0–6/2015–16 अंचल कार्यालय, गिद्धौर राज्य सरकार बनाम लेखो राणा एवं अन्य में लेखो राणा एवं अन्य के कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अंचल अधिकारी, गिद्धौर द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरिया को भेजे गये पत्र सं0–21 दिनांक–02.12.2017 की छाया प्रति।

(5) विविध वाद सं0–06/2015–16 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरिया एवं अनुमण्ड पदाधिकारी, सिमरिया द्वारा लेखो राणा एवं अन्य के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की छाया प्रति।

उभय पक्षों को सुना गया। प्रथम पक्ष का कथन है कि हमलोगों को ग्राम द्वारी के खाता सं0–186 एवं 2 में कुल 10.73 ए0 भूमि वार्ड इनकमडर स्टेट से हासिल है। वन विभाग द्वारा अपनी सीमा में कर लेने के पश्चात् वन विभाग से निस्कासित करा कर हमलोगा जोत–कोड करते है तथा उसी भूमि पर घर मकान बनाकर रहते है। सरकारी रसीद लगातार कटाते आये है। हमलोगों की भूमि की ही जमाबंदी जवाहर यादव ग्राम द्वारी ने अपने दादा मिठु महतो के नाम से कटा लिया है, जिसे रद्द किया जाए।

द्वितीय पक्ष जवाहर यादव का कथन है कि हमारे दादा स्व0 मिठु महतो के नाम से ग्राम द्वारी के खाता सं0–186 एवं 2 प्लॉट सं0–2382 ,64, 177 एवं 2381 में 10.75 ए0 भूमि जमींदार द्वारा बन्दोबस्ती से प्राप्त है, जिसकी रसीद ऑनलाईन पंजी–2 होने के पूर्व कटती आ रही थी परंतु ऑनलाईन होने के पश्चात् नहीं कट रही है। प्रथम पक्ष द्वारा जानबूझकर हमें परेशान किया जा रहा है। जब कि उनकी ही जमाबंदी संदेहात्मक है, जिसके संबंध में अंचल कार्यालय के विविध वाद सं0–06/2015–16 चला है। इस वाद मे अंचल अधिकारी, गिद्धौर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरिया एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया द्वारा जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। पूर्व में हुए भूमि विवाद के संबंध में प्रथम पक्ष द्वारा लिखित दिया गया था कि भविष्य में कोई वाद नहीं करेंगे परन्तु हमारी भूमि को हड़पने के उद्देश्य से बार–बार झुठा आवेदन दे कर हमें परेशान कर रहे है।

राजस्व उप निरीक्षक ने भी अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है। उसने प्रतिवेदित किया है कि ग्राम द्वारी के खाता सं0–186/75 एवं खाता सं0–02 कुल रकबा–10.75 ए0 भूमिका मांग पंजी–2 के भौलूम सं0–3 पृष्ठ सं0–133 पर मिठु महतो पिता–खेदो महतो के नाम से चलता है। विपक्षी गण सुरेश राणा वो ईश्वर राणा वगै0 के नाम से खात सं0–2, 186/215 कुल रकबा–4.50 ए0 भूमि तथा लेखो राणा वगै0 के नाम से खाता सं0–186/338 कुल रकबा–6.23 ए0 भूमि की जमाबंदी क्रमशः भॉलूम सं–2 पृष्ठ सं0–28 तथा भॉलूम सं0–2 पृष्ठ सं0–149 पर कायम है। दोनों पक्षों से फैसला होने के पश्चात् ही ऑनलाईन में प्लॉट दर्ज कर रसीद निर्गत किया जा सकता है।

वाद से संबंधित भूमि का खतियान अंचल कार्यालय में नहीं है तथा ऑनलाईन भी दर्ज नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजात एवं राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन तथा अपने-अपने पक्ष में दिये गये तर्कों से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) प्रश्नगत् भूमि ग्राम द्वारा के खाता सं0-186 एवं 2 गैरमजरूआ खाते की भूमि है।

(2) उभय पक्षों को भूमि मैनेजर वार्ड इनकमडर स्टेट से सादा हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है।

(3) उभय पक्षों द्वारा एक ही भूमि पर दावा करने से विवाद है। तथा पूर्व में भी विवाद चलते रहा है।

(4) प्रथम पक्ष द्वारा तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक तथा द्वितीय पक्ष जवाहर यादव के विरूद्ध अपर मुख्य न्याधिक दण्डाधिकारी, चतरा के न्यायालय में परिवाद पत्र सं0 267/2015 चला था परिवाद में पारित अंतिम आदेश की प्रति प्रथम पक्ष द्वारा नहीं दी गई है। परिवाद का विषय छेड-छाड़ कर जमाबंदी कायम करने से संबंधित था।

(5) प्रथम पक्ष के लेखो राणा खेमन राणा वगै0 के नाम से खाता सं0-186 प्लॉट सं0-64, 2382 कुल रकबा-6.23 ए0 की जमाबंदी के संबंध में BLR Act 1950 की धारा 4H के तहत् संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं0-06/2015-16 चल रही है, जिसमें अब तक अंतिम फैसला पारित नहीं हुआ है। पूर्व में संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं0-3/1992-93 अंचल अधिकारी इटखोरी के यहाँ चला था, जिसमें सन्निहित भूमि वाद सं0-06/2015-16 में सन्निहित भूमि ही थी। उकत वाद में अनुमण्डल पदा0 द्वारा लेखो राणा वगै0 के नाम से कायम जमाबंदी को नियमित कर रसीद निर्गत करने का आदेश है।

(6) अंचल अधिकारी, गिद्धौर के विविध वाद सं0-26/2015-16 द्वारा प्रथम पक्ष की कायम जमाबंदी भॉलूम सं0-2 पृष्ठ सं0-149 में सुधार किया गया है।

(7) अंचल अधिकारी, गिद्धौर के विविध वाद सं0-6/2015-16 में लेखो राणा वगै0 के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अंचल अधिकारी, गिद्धौर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया द्वारा रद्द करने की अनुशंसा किया गया है लेकिन रद्द करने का अंतिम आदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा अब तक नहीं हुआ है। यह अभी लंबित है।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्य से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वाद से संबंधित भूमि में उभय पक्ष का पुर्व से ही विवाद है तथा प्रथम पक्ष की भूमि पर BLR Act 1950 की धारा 4H के तहत् वर्त्तमान में वाद चल रहा है।

द्वितीय पक्ष की कायम जमाबंदी को पूर्व में किसी न्यायालय से अवैध नहीं ठहराया गया है और नहीं पूर्व में अवैध जमाबंदी संबंधि वाद चला है।

चूकि द्वितीय पक्ष की भूमि भी गैरजमरूआ खाते की है तथा राज्य सरकार की भी निति है कि गैरमजरूआ खाते की कायम जामबंदी को

Scanned with OKEN Scanner

जाँच करते हुए BLR Act की धारा 4H के तहत् गलत पाये जाने पर रद्द करने की कार्रवाई की जाय या जांचोपरांत सही पाये जाने पर नियमित की जाए। इस लिए द्वितीय पक्ष की जमाबंदी की जांच राजस्व उप निरीक्षक झरखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–19.05.216 राहपठित श्री अनुप मुखर्जी निदेशक भू–अर्जन –सह– विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–03 खा0म0 निति 119/85/2308 रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह पारित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–914/रा0, दिनांक–19.12.1998 में निहित निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर अलग से अभिलेख खोलते हुए द्वितीय पक्ष की जमाबंदी को रद्द करने या नियमित करने की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। इस अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी
गिद्धौर।

Digitally signed by RAHUL DEO
Date: 2024.08.16 13:31:46 +05:30
Location: 192.168.31.75

Scanned with OKEN Scanner